भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 640

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

ओबीसी को बैंक ऋण

640. श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का है और राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा निश्चित प्रतिशत का ऋण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है और अग्रिमों पर ब्याज दरों का निर्धारण इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी व्यापक विनियामक ढांचे के अध्याधीन बैंकों द्वारा उनके संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से किया है।

केंद्र प्रायोजित ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों/निगमों द्वारा ऋण/वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण आरक्षण/ छूट दी जाती है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं,—

(i) 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर विभेदी व्याज दर (डीआरआई) योजना, जिसके 40% लाभार्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के होते हैं, जो सहज रूप से पात्र होते हैं और जिनके लिए अधिक ऋण राशि अनुज्ञेय है;

(ii) स्टैंड-अप इंडिया योजना, जिसमें बैंक द्वारा ग्रीनफ़ील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण दिया जाता है;

(iii) महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना और आजीविका सूक्ष्म वित्त योजना और हरित व्यवसाय योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दरों पर चैनल पार्टनर्स (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंकों) के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा अनुसूचित जाति आय सृजन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना और सावधि ऋण योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत रियायती दर पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा अनुसूचित जनजाति आय सृजन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता;

(v) नई स्वर्णिमा योजना, शिक्षा ऋण योजना, सूक्ष्म वित्त योजना, महिला समृद्धि योजना और सामान्य ऋण योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दरों पर चैनल पार्टनर्स (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / बैंकों) के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आय सृजन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता; और

(vi) शिक्षा ऋण के संबंध में डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता योजना ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को विदेशो में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण के अधिस्थगन की अवधि में देय ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कमजोर वर्ग, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्ति शामिल हैं, को ऋण देने के लिए 11.5% का उप-लक्ष्य अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है।

आरबीआई ने समय-समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा तिमाही आधार पर करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इस समीक्षा में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन समुदायों को सीधे या राज्य स्तरीय एससी/एसटी निगमों के माध्यम से उधार देने में हुई प्रगति पर भी विचार किया गया है।

***